

प्रेषक,

अशोक कुमार,
विशेष सचिव,
उ०प्र०, शासन।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी/जिला कार्यक्रम समन्वयक,
उत्तर प्रदेश।


ग्राम्य विकास अनुभाग-7

लखनऊ दिनांक 25 मार्च, 2014

विषय महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत संविदा के आधार पर जनपद/ब्लाक स्तर पर नियुक्त सोशल आडिट कोआर्डिनेटर्स की सेवा अवधि में विस्तार।

महोदय,


उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या- 2245/अडतीस-7-2012-200नरेगा/2009 दिनांक: 04-10-2012 एवं शासनादेश संख्या-1390/अडतीस-7-2012-200नरेगा/2009 दिनांक: 04-07-2012 तथा शासनादेश संख्या-4050/अडतीस-7-2012-324नरेगा/2012टीसी दिनांक: 16-12-2013 की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जिला सोशल आडिट कोआर्डिनेटर्स/ब्लाक सोशल आडिट कोआर्डिनेटर्स, जिनकी सेवाएं दिनांक: 31-03-2014 को समाप्त हो रही हैं, की सेवाएं दिनांक: 01-04-2014 से आगे 03 माह तक विस्तारित की जाती हैं। कृपया तदनुसार आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।

भवदीय

(अशोक कुमार)
विशेष सचिव।
2

संख्या- (1)/अडतीस-7-2014 तददिनांक:-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. आयुक्त, ग्राम्य विकास, उत्तर प्रदेश।
2. रोजगार गारण्टी आयुक्त, ग्राम्य विकास, उत्तर प्रदेश।
3. निदेशक, सोशल आडिट, उत्तर प्रदेश।
4. समस्त अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक/मुख्य विकास अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
5. समस्त जिला विकास अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
6. गार्ड बुक।

आज्ञा से

(उमा कान्त पाठक)
अनु सचिव।